प्रेस नोट

दिनांक 28.08.2023

सराहनीय कार्य थाना जामो पुलिस जनपद अमेठी

चोरी के 134 कुन्तल सरिया (कीमत लगभग 08 लाख रूपये) व चोरी की सरिया के बिक्री के 1,64,000/- रूपये नगद के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 27.08.2023 को निरीक्षक श्री विवेक कुमार सिंह थाना जामो मय हमराही द्वारा तलाश वांछित, देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन, तलाश वांछित/वारण्टी क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर से सुचना प्राप्त हुई कि एक हरे रंग के बिना नंबर के टैक्टर-ट्राली पर तीन व्यक्ति चोरी की सरिया लेकर भीखीपुर बरौलिया की तरफ आ रहे हैं। मुखबिर की उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा बरौलिया चौराहे के पास सघनता से चेकिंग की जाने लगी तभी मवई से गोरियाबाद चौराहे की तरफ नहर पटरी पर की तरफ से एक ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो ट्रैक्टर पर बैठे व्यक्ति भागने लगे कि पुलिस टीम द्वारा घेर कर हिकमतअमली से पकड़ लिया गया। पूछने **पर एक ने अपना नाम शिवम सिंह उर्फ मोनू सिंह** पुत्र शैलेन्द्र प्रताप सिंह नि0 अमरबोझ मजरे बरौलिया थाना जामो जनपद अमेठी बताया जिसकी तलाशी से कब्जे से 80 हजार रूपये नगद, **दूसरे ने अपना नाम शिव विवेक सिंह** पुत्र स्व0 शिवराम सिंह नि0 बरौलिया थाना जामो जनपद अमेठी बताया तलाशी से कब्जे से 48 हजार रूपये नगद, **तीसरे ने अपना नाम कैलाश नाथ तिवारी** उर्फ अनुज तिवारी पुत्र हरिकेश तिवारी नि0 ग्राम उतेलवा रोड नं0 4 थाना कमरौली जनपद अमेठी बताया जिसकी तलाशी से कब्जे से 4 हजार रूपये नगद बरामद हुआ। चौथे व्यक्ति सतीश यादव को ग्राम अतरवा मजरे को उसके घर के पास चोरी की सरिया छिपाते हुए समय करीब 10.05 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया। मौके से अभियुक्त के कब्जे से 10 कुन्तल सरिया व तलाशी से 32 हजार रूपये नगद बरामद हुआ।

ट्रैक्टर व ट्राली पर लदे सरिया व बरामद रूपयों के बारे में पूछने पर शिवम सिंह व शिव विवेक सिंह ने बताया कि उक्त सरिया चोरी की है व बरामद रूपये चोरी की सरिया की बिक्री से प्राप्त है तथा यह भी बताया कि दिनांक 18.08.2023 को ट्रक संख्या यूपी 44 टी 6023 में ट्रक ड्राइवर रामजी उपाध्याय पुत्र गोमती प्रसाद उपाध्याय नि0 पूरे मोती थाना जामो जनपद अमेठी ट्रक में चोरी की सरिया लादकर लाया था, जो सतीश यादव पुत्र बब्बन यादव नि0 अतरवा मजरे भोंये थाना जामो जनपद अमेठी के साथ ले आकर बेंच रहे थे, उसी से हम लोग खरीदे थे। ट्रैक्टर ट्राली पर लदी सरिया चोरी की है जिसे **कैलाश नाथ तिवारी** उर्फ अनुज तिवारी ने खरीदा है। शिवम सिंह ने बताया कि बिक्री के बाद भी हमारे व अनिल कुमार सिंह के गोदाम व सतीश यादव के घर पर चोरी की सरिया रखी है। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर ग्राम अमर बोझ शिवम सिंह के गोदाम से कुल 38 कुन्तल सरिया, अनिल कुमार उर्फ रिंकू सिंह के गोदाम से 30 कुन्तल सरिया, सतीश यादव के घर से कुल 30 कुन्तल सरिया व ट्रैक्टर-ट्राली पर लदी कुल 21 कुन्तल बरामद हुई। उक्त सरिया चोरी के संबन्ध में थाना चिनहट कमिश्नरेट लखनऊ में अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबन्ध में थाना जामो पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी स्थान- गोरियाबाद चौराहा, **समय-**19.20 बजे, **दिनांक-**27.08.2023

अभियुक्त सतीश का गिरफ्तारी स्थान- ग्राम अतरवा**, समय-**10.05 बजे दिन में**, दिनांक-**28.08.2023

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. शिवम सिंह उर्फ मोनू सिंह पुत्र शैलेन्द्र प्रताप सिंह नि0 अमरबोझा मजरे बरौलिया थाना जामो जनपद अमेठी उम्र करीब 21 वर्ष।
2. शिव विवेक सिंह पुत्र स्व0 शिवराम सिंह नि0 बरौलिया थाना जामो जनपद अमेठी उम्र करीब 37 वर्ष।
3. कैलाश नाथ तिवारी उर्फ अनुज तिवारी पुत्र हरिकेश तिवारी नि0 ग्राम उतेलवा रोड नं0 4 थाना कमरौली जनपद अमेठी उम्र करीब 21 वर्ष।
4. सतीश यादव पुत्र बब्बन यादव नि0 अतरवा मजरे भोंये थाना जामो जनपद अमेठी उम्र करीब 40 वर्ष।

वांछित अभियुक्तो का नाम व पता-

1. रामजी उपाध्याय पुत्र गोमती प्रसाद उपाध्याय नि0 पूरे मोती थाना जामो जनपद अमेठी।
2. अनिल सिंह उर्फ रिंकू सिंह पुत्र रवीन्द्र प्रताप सिंह नि0 अमरबोझा मजरे बरौलिया थाना जामो जनपद अमेठी

बरामदगी-

1. चोरी की 134 कुन्तल सरिया। (कीमत लगभग 08 लाख रूपये)
2. चोरी की सरिया बिक्री के नगद 1,64,000/- रूपये

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

1. मु0अ0सं0 223/23 धारा 411 भादवि थाना जामो जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 375/23 धारा 409,421,411 भादवि थाना चिनहट लखनऊ कमिश्नरेट। (से संबन्धित)
3. ट्रैक्टर-ट्राली बिना नंबर (207 एमवी एक्ट)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. नि0 श्री विवेक कुमार सिंह थाना जामो जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 श्री हरदेव बहादुर सिंह थाना जामो जनपद अमेठी।
3. हे0का0 जितेन्द्र यादव थाना जामो जनपद अमेठी।
4. का0 कन्हैया लाल थाना जामो जनपद अमेठी।
5. का0 अरूण कुमार थाना जामो जनपद अमेठी।
6. का0 चन्दन कन्नौजिया थाना जामो जनद अमेठी।

अभियुक्त शिव विवेक सिंह का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 223/23 धारा 411 भादवि थाना जामो जनपद अमेठी
2. मु0अ0सं0 159/09 धारा 307 भादवि थाना जायस जनपद अमेठी
3. मु0अ0सं0 217/10 धारा 401 भादवि थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
4. मु0अ0सं0 158/14 धारा 323,504,506,354,511 भादवि थाना जामो जनपद अमेठी।
5. मु0अ0सं0 290/14 धारा 41,109 भादवि थाना जामो जनपद अमेठी।